न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/132

प्रकरण संख्या 103/22

अनवान

1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री सुखलाल साहु निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 04.10.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2066–2069 के खाता संख्या 311 आराजी नम्बर 5151/14 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 रकबा 7 बिघा 03 बिस्वा भूमि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पिता श्री सुखलाल साहु सा.देह के नाम दर्ज हैं। नवीन सेटनमेंट के बाद उक्त भूमि के नवीन आराजी नम्बर 6426 बने जिसमें आराजी 6426 का रकबा 0.8700 हैक्टेयर दर्ज किया गया जो कि गत आराजी के क्षेत्रफल 7 बिघा 03 बिस्वा (1.54 हैक्टर) के मुकाबले 0.67 हैक्टर कम हैं जिसे पूर्व दर्ज क्षेत्रफल अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जो इस प्रकार है कि :–

- **I.** राजस्व ग्राम भीण्डर की बंदोबस्त विभाग से पूर्व की स्थिति जमाबंदी सम्वत् 2068–71 के खाता संख्या 1311 के आराजी न. 5151/14 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 किता 1 रकबा [illegible] 03 बिस्वा भूमि राजेन्द्र कुमार पिता सुखलाल साहु जाति तेली सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी।
- **II.** बंदोबस्त विभाग द्वारा भू-प्रबंधन कार्यवाही पश्चात उपलब्ध कराए रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2078–81 में नवीन खाता संख्या 1436 के आराजी न. 6426 किता 1 कुल रकबा 0.8700 हैक्टेयर भूमि राजेन्द्र कुमार पिता सुखलाल साहु जाति तेली सा.देह. के नाम दर्ज होकर दिनांक 15.12.2022 से 15.12.2070 तक लीज ली हुई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला–उदयपुर (राज.))
सत्यमेव जयते

CamScanner

III. राजस्व रिकार्ड में हुई परिवर्तन/त्रुटी पटवारी रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी 5151/14 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 किता 1 रकबा 7 बिघा 03 बिस्वा भूमि जिसके नवीन आराजी न. 6426 किता 1 रकबा 0.8700 हैक्टेयर भूमि है जो कि उक्त साबिक आराजी न. के मुकाबले क्षेत्रफल में 0.6744 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज रिकॉर्ड हुई हैं। मौके अनुसार राजेन्द्र कुमार पिता सुखलाल साहु जाति तेली के नाम दर्ज आराजी न. 6426 रकबा 0.8700 साबिक आराजी न. 5151/14 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 किता 1 रकबा 7 बिघा 03 बिस्वा के मुकाबले क्षेत्रफल में 0.6744 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज रिकॉर्ड हैं लेकिन प्रार्थी का कब्जा उक्त साबिक आराजी के आंशिक भाग को छोडकर वर्तमान में मौके पर काबिज है लेकिन गत लठ्ठा सीट तरमीम का कुछ आंशिक भाग नवीन आराजी न. 6424, 6425, 6427, 6477, 6478, 6479 में है।

IV. मौके, क्षेत्रफल एवं उक्त आराजी अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदार राजेन्द्र कुमार पिता सुखलाल साहु जाति तेली आराजी न. 6426 रकबा 0.8700 हैक्टेयर एवं आराजी न. 6424 में से रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी न. 6425 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, भूमि जो कि नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय विभाग हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकॉर्ड है उसे नक्शा ट्रेस "C" के अनुसार दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर की खाता संख्या 311 आराजी नम्बर 5151/14 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 रकबा 7 बिघा 03 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि के नवीन आराजी 6426 में प्रार्थी का रकबा कम कर दिया गया जिसे पूर्व दर्ज क्षेत्रफल अनुसार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की जमाबंदी सम्वत् 2068-71 में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज थी लेकिन नवीन बंदोबस्त के बाद जमाबंदी सम्वत् 2078-81 के नवीन आराजी नम्बर 6426 कायम जिसमें प्रार्थी का रकबा 0.8700 हैक्टेयर कर दिया गया जो गत क्षेत्रफल (1.54 हैक्टेयर) के मुकाबले 0.6744 हैक्टेयर कम कर दिया गया। पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि के आंशिक भाग को छोडकर शेष सम्पूर्ण साबिक आराजी पर प्रार्थी का मौके पर कब्जा हैं। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pucadia
Date: 2022.11.02 13:41:02 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के रकबे को गत साबिक आराजी के रकबे के अनुसार करने के लिये आराजी नम्बर 6425 रकबा 0.2000 हैक्टर व आराजी नम्बर 6424 में से रकबा 0.2000 हैक्टर किता 2 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि जो वर्तमान में नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं जहॉ प्रार्थी का कब्जा हैं। प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील / एल.आर. / 6933 / 2011 / उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(12) राज.16 / 92 / 26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 5151 / 14 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 रकबा 7 बिघा 03 बिस्वा भूमि में नवीन सेटलमेंट के बाद बने नये आराजी नम्बर 6426 रकबा 0.8700 हैक्टेयर में गत रकबे के मुकाबले नवीन रकबे में अन्तर हैं। प्रार्थी का अपनी साबिक आराजी पर मौके पर कब्जा हैं। नवीन सेटलमेंट की त्रुटि से प्रार्थी के रकबे में परिवर्तन हुआ हैं जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की आराजी नम्बर 6425 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6424 में से रकबा 0.2000 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.4000 हैक्टेयर जो कि नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय विभाग के नाम दर्ज हैं के बजाय प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पिता सुखलाल साहु जाति तेली के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस "C" अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 04.10.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:02 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner